न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 175 / 2023

प्रार्थीगण

1. भोपाराम पुत्र भेराराम उम्र 40 वर्ष
2. जीयों पुत्री चौलाराम उम्र 60 वर्ष
3. थानाराम पुत्र खेमाराम उम्र 30 वर्ष
4. देवी पुत्री खेमाराम उम्र 28 वर्ष
5. मानीदेवी पुत्री खेमाराम उम्र 40 वर्ष,
6. रावताराम पुत्र खेमाराम उम्र 35 वर्ष
7. लक्ष्मीदेवी पुत्री खेमाराम उम्र 18 वर्ष
8. हुकमाराम पुत्र खेमाराम उम्र 30 वर्ष
9. हप्पूदेवी पत्नि खेमाराम उम्र 60 वर्ष

जातियान मेघवाल निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पीराराम पुत्र भारमलराम उम्र 80 वर्ष
2. मांगाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 35 वर्ष
3. कानाराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष
4. खेमाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 70 वर्ष
5. धीराराम पुत्र मूलाराम उम्र 60 वर्ष
6. नथु पत्नि मगाराम उम्र 70 वर्ष
7. नेमाराम पुत्र मेगाराम उम्र 70 वर्ष
8. प्रतापाराम पुत्र मेगाराम उम्र 30 वर्ष
9. बाबूराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष
10. रूखमोदेवी पत्नि मेगाराम उम्र 50 वर्ष
11. रावताराम पुत्र मगाराम उम्र 45 वर्ष
12. नानगाराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 70 वर्ष
13. लाखाराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 60 वर्ष
14. करनाराम पुत्र रतनाराम उम्र 50 वर्ष
15. खेमाराम पुत्र देवाराम उम्र 45 वर्ष
16. चौनाराम पुत्र पदमाराम उम्र 50 वर्ष
17. छताराम पुत्र रतनाराम उम्र 65 वर्ष
18. टीकुराम पुत्र पदमाराम उम्र 40 वर्ष
19. तूलसाराम पुत्र देवाराम उम्र 35 वर्ष
20. रामाराम पुत्र देवाराम उम्र 40 वर्ष

जातियान जाट निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

21. अमराराम पुत्र सोनाराम उम्र 35 वर्ष
22. उमाराम पुत्र अणदाराम उम्र 50 वर्ष
23. गजरोदेवी पत्नि सोनाराम उम्र 60 वर्ष
24. घमण्डाराम पुत्र सोनाराम उम्र 40 वर्ष
25. जेठाराम पुत्र सोनाराम उम्र 30 वर्ष
26. प्र[illegible] पुत्र सोनाराम उम्र 25 वर्ष
27. [illegible] उम्र 18 वर्ष
28. [illegible] पत्नि सोनाराम उम्र 60 वर्ष
29. जमन[illegible] पत्नि हड़मानराम उम्र 60 वर्ष
30. कंवराराम पुत्र वालाराम उम्र 60 वर्ष
31. गिरधारीराम पुत्र वालाराम उम्र 70 वर्ष
32. चेनाराम पुत्र रामाराम उम्र 25 वर्ष
33. पदमाराम पुत्र दीपाराम उम्र 35 वर्ष
34. प्रेमकुमार पुत्र रामाराम उम्र 18 वर्ष
35. [illegible] पुत्र वालाराम उम्र 60 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

36 रावताराम पुत्र दीपाराम उम्र 40 वर्ष जातियान मेघवाल निवासी नया खरंटिया खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
37 गोकलराम पुत्र रावताराम उम्र 80 वर्ष
38 कुम्भाराम पुत्र भल्लाराम उम्र 35 वर्ष
39 खियाराम पुत्र रावताराम उम्र 70 वर्ष
40 नेनाराम पुत्र डाकूराम उम्र 30 वर्ष
41 भीयाराम पुत्र डाकूराम उम्र 25 वर्ष
42 गंगाराम पुत्र डाकूराम उम्र 35 वर्ष
43 रावताराम पुत्र डाकूराम उम्र 40 वर्ष
44 लूम्भाराम पुत्र डाकूराम उम्र 45 वर्ष जातियान भील निवासी नया खरंटिया खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
45. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 65 वर्ष
46. खुमीदेवी पत्नि दुर्गाराम उम्र 80 वर्ष
47. गोकलाराम पुत्र सोनाराम उम्र 70 वर्ष
48. डूंगराराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 50 वर्ष जातियान सुथार निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
49. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है [illegible]गण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया मौजा खरंटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरंटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5.9057 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई

उपखण्ड अधिकारी

पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया मौजा खरंटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरंटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5.9057 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया मौजा खरंटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरंटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5.9057 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया मौजा खरंटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरंटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5.9057 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथ[illegible]ी पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन [illegible] का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहस[illegible] सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया मौजा खरंटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरंटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5.9057 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की

प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की मेंढबन्दी करवाने के लिए स्वतन्त्र है जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है इससे जाहिर होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का खरटिया मौजा खरटिया के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 13.7530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 289 रकबा 0.7281 हैक्टेयर कुल रकबा 14.5458 हैक्टेयर तथा ग्राम नया खरटिया के खसरा संख्या 163 रकबा 5. 9057 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के मेंढबन्दी स्थापित करते हुए मेंढबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। मतलना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested